



219

R-73549086661
13-11-15

तमस्य न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर

मिम्बरानी 21965-15

रमेश उम्र लगभग 50 साल पिता धिरकुटया पाण्डे, जाति कुनबी,
2. अशोक उम्र लगभग 40 साल पिता धिरकुटया पाण्डे, जाति कुनबी,
दोनों निवासी पिपला नारायणवार, तहसील सौंत्तर, जिला
छिंदवाड़ा, म०प्र०

----- पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

यशवंतराव उम्र 65 साल पिता मारोतराव चौधरी,
जाति कुनबी, निवासी पिपला नारायणवार, तहसील सौंत्तर,
जिला छिंदवाड़ा, म०प्र०

----- उत्तरवादी

क्रमांक 6031,
रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा आप
दिनांक 13-2-15 को प्राप्त
13-2-15 को प्राप्त
राजस्व मण्डल

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म०प्र०-राजस्व संहिता-1959

पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है:-

पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध उत्तरवादी ने ग्राम पीपला नारायणवार, ब० नं०-248, प० ह० नं०-47, रा० नं० म० व तहसील सौंत्तर, जिला छिंदवाड़ा की कृषि भूमि में से मेंड के किनारे से बैलगाड़ी रास्ता खुलवाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान तहसीलदार सौंत्तर, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में 2/अ-13/2014-15 यशवंतराव विरुद्ध रमेश वगैरह दिनांक 7/4/2015 को पेश किया गया और दिनांक 9/6/2015 को अंतरिम आदेश पारित कर उत्तरवादी का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-32 म०प्र०-रा० सं० स्वीकार कर अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खोलने का आदेश पारित किया है। इस अंतरिम आदेश दिनांक 9/6/15 से धुब्ध होकर अन्य आधारों के अलावा निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर यह पुनरीक्षण पेश है:-

पुनरीक्षण-के प्रमुख आधार

1. यह कि विद्वान तहसीलदार महोदय पुनरीक्षणकर्तागण को विधिगत सूचना दिए बिना पटवारी द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण की अनुमति में आवेदक के बताये अनुसार प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन दिनांक 29/4/

Handwritten signatures and dates: 29/4/15, 27/4/15, and other illegible marks.

Handwritten number: 219

